कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिपत्रॉक सी -28 /अधि–2–ओ0टी0एस0/2013–14 दिनॉक 15 जुलाई, 2013

1– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **दिनॉक 01.04.1997 के पूर्व बकाया पड़े फसली ऋण एवं अन्य ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

जैसाकि आप अवगत है कि इस ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 के अन्तर्गत दिनॉक 01.04.1997 से 3103.2007 तक वितरित ऋणों को अच्छादित किया गया था, किन्तु दिनॉक 01.04.1997 से पूर्व वितरित ऋणों को उप योजना में अच्छादित नहीं किया गया।

दिनॉक 01.04.1997 से पूर्व वितरित ऋणों की प्रभावी वसूली किये जाने हेतु ओ0टी0एस0 योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–570–71/अधि–2/ओ0टी0एस0 दिनॉक 30.05.2013 के माध्यम से प्रमुख सचिव सहकारिता , उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड से औपचारिक अनुमोदन मॉगा गया।

उक्त अनुरोध के कम में शासनादेश संख्या–1184/49–1–2013–8 (55)/13दिनॉक 08.07.2013 एवं नाबार्ड के पत्र संख्या–रा.बै.उ.प्र.क्षे.का.लख. आईडीडी–कॉप/128/2013–14 दिनॉक 11. जुलाई 2013 द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। दिनॉक 01.04.1997 से पूर्व वितरित एवं बकाया पड़े ऋणों की एकमुश्त वसूली (ओ0टी0एस0) निम्नांकित शर्तो/उपबन्धों के अधीन होगीः–

1– इस योजना की कार्यावधि दिनॉक 16.07.2013 से 30.09.2013 तक होगी।

2– यह योजना दिनॉक 0104.1997 से पूर्व वितरित एवं बकाया पड़े सभी प्रकार के ऋणों पर समान रूप से लागू होगी।

3– यह योजना उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा पैक्स के सम्बन्ध में प्रभावी होगी।

4– इस योजना में व्यक्तिगत ऋणों की अधिकतम सीमा 10.00 लाख रू0 तक तथा संस्थाओं के मामले में 10.00करोड़ रू0 होगी।

5– इस योजना में कपटपूर्ण ढ़ग से अदायगी न करने वाले ऋण , धोखाधड़ी द्वारा लिये गये ऋण तथा मैलाफिजनरा ऋण को अच्छादित नहीं किया जायेगा।

6– इस योजना में अच्छादित बकाया ऋण का मूल धन पूरा वसूल किया जायेगा तथा उस पर दिनॉक 15.07.2013 तक आगणित ब्याज में से 50 प्रतिशत वूसल किया जायेगा। वसूल न हो चुके शेष 50 प्रतिशत धनराशि हानि खाते में दर्शायी जायेगी।

7– योजना का अनुमोदन सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

8– यह योजना बकाया /एन0पी0ए0 की उसी धनराशि पर की जायेगी जिसका प्रावीजन संस्थाओं ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त कर लिया हो।

9– यदि बकायेदार सदस्य एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत अवधारित धनराशि की अदायगी एक साथ करने में असमर्थ हैं तो उससे 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त प्रत्येक त्रैमारा के अन्त में 03 बराबर किश्तों में वसूल की जायेगी।

10– इस योजना में अच्छादित ब्याज की गणना तत्समय प्रचलित ब्याज दर पर की जायेगी।

11– योजना से अच्छादित बकाये पर संग्रह शुल्क, दण्ड शुल्क अथवा प्रकिया शुल्क नहीं लिया जायेगा।

12– पात्र बकायेदारों का परीक्षण बैंक स्तर, जनपद स्तर, तहसील स्तर एवं शाखा/विकास खण्ड स्तर पर किया जायेगा। योजना के कियान्वयन के समय जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार परीक्षण हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम का गठन किया जायेगा।

13– योजना के सफल कियान्वय एवं अनुश्रवण हेतु बैंक मुख्यालय पर उप महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी को नामित किया जायेगा तथा इसका पर्यवेक्षण सचिव/महाप्रबन्धक व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक ,सहकारिता द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

14– मण्डल स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा योजना के लाभार्थियों की संकलित सूचना का पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक स्थलीय चेकिंग की जायेगी।

15– प्रदेश स्तर पर योजना की मानीटरिंग उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक में सामन्य महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित सेल द्वारा की जायेगी। सेल का गठन प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक

द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

(देबाशीष पण्डा)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

परिपत्रॉक सी-28 /अधि-2-ओ0टी0एस0/2013-14 दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता , उ0प्र0।
2- समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-माण्ट/2013-14/पी0बी0-11 दिनॉक 27.05.2013 के कम में अनुपालनार्थ प्रेषित।
4- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य महाप्रबन्धक , क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड गोमतीनगर लखनऊ।
6- प्रमुख सचिव, सहकारिता उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(वी0डी0मिश्र)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(अधि)
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।